न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/693/2004/नागौर

1– बाबूलाल पुत्र रामाराम
2– अमराराम पुत्र रामाराम
3– मु0 अणवी बैवा रामाराम, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सीलगांव तहसील एवं जिला नागौर।

------ अपीलांट

बनाम

1– मोहनराम पुत्र चूनाराम
2– किसनाराम पुत्र चूनाराम
3– ओमप्रकाश पुत्र स्व0 गणेशराम
4– रतनाराम पुत्र स्व0 गणेशराम
5– मु0 गेवरी बैवा स्व0 गणेशराम
6– नरपतराम पुत्र श्री शिवराम, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सीलगांव तहसील एवं जिला नागौर।
7– श्रीमती तीजणी पुत्री चूनाराम पत्नी देवाराम
8– श्रीमती सोनकी पुत्री चूनाराम पत्नी बलदेवराम, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम खरनाल तहसील एवं जिला नागौर।

------ रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक :– 10.03.2025

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 58/1997 में पारित निर्णय दिनांक 04–02–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद इस्तकरार हक खातेदारी, घोषणा एवं बंटवाड़ा खेताय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं0 181 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा, 218 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा एवं 230 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मैडास एवं खसरा नं0 589 रकबा 58 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा करनाल तथा खसरा नं0 530 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, 316 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा, 509 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 537 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, 602 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, 492 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नं0 1210 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मौजा भाखरोद में स्थित है। वादी रामाराम के पिता गीदाराम जी का स्वर्गवास सन् 2000 में हो गया। इस कारण परिवार के कर्ता खानदान उनके भाई चूनाराम, जिसके वारिसान रेस्पो0 है, का नाम खिलाफ कब्जा एवं कानून अधिकांश खेतों पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि कब्जा काश्त संयुक्त रूप से मौके पर चला आ रहा है। वादी चूनाराम व रामाराम के लड़कों मोहनराम, गणेशराम व किसनाराम प्रतिवादी सं0 1 से 3 के मध्य वादपत्र की चरण सं0 2 (क) में वर्णित भूमि वादी रामाराम के हिस्से एवं कब्जा काश्त में रखी गई है तथा 2 (ख) में वर्णित भूमि चूनाराम के लड़कों में बट एवं कब्जा काश्त में रखी गयी, जिसके मुताबिक वादपत्र को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गयी। वादपत्र प्रस्तुत होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन के जरिये तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं0 6 नरपतराम रेस्पो0 सं0 6 ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील हो जाने के बाद गैर हाजिर रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके तहत विद्वान सहायक कलक्टर, नागौर ने इकबाली जवाब दावा एवं दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिनांक 24–08–1991 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण मोहनराम की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय

अपील/टीए/693/2004/नागौर
बाबूलाल बनाम मोहनलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रथम अपील 6 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसमें उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–02–2004 से अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–1991 को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय दिनांक 04–02–2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2004 न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी रामाराम अपीलांट सं0 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति ने प्रतिवादीगण मोहनराम आदि के विरूद्ध अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष राजस्व वादपत्र 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि मैडास, खरनाल, सीलगांव एवं भाखरोद में स्थित है जो कि पक्षकारान की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। वादी के पिता गीदाराम जी का स्वर्गवास सन् 2000 में हो गया। जिसके कारण पैतृक वादग्रस्त भूमि के अधिकांश खेताय पर अकेले चूनाराम के नाम कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जबकि मौके पर कब्जा काश्त संयुक्त रूप से चला आ रहा है। उक्त समस्त पुश्तैनी भूमि का वादी रामाराम एवं उसके भाई चूनाराम के लड़कों मोहनराम, गणेशराम व किसनाराम के मध्य पारिवारिक बंटवारा सं0 2024 में हो गया था जिसका संपूर्ण विवरण वादपत्र के पैरा सं0 2 (क) व (ख) में वर्णित किया गया। जिस पर पक्षकारान काबिज होकर काश्त करने चले आ रहे हैं। जिसके मुताबिक बंटवारा की डिक्री जारी की जावे। वादी रामाराम ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आराजी मुतनाजा बाबत् राजस्व वादपत्र प्रतिवादीगण/रेस्पो0 मोहनराम आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसकी विधिवत् रूप से तामील प्रतिवादीगण पर हुयी और

उन्होंने सम्मन को लेने से इन्कार किया जिसके कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–1991 को पारित की गयी। जिसको अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी मुख्य कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त कर दिया गया कि प्रतिवादीगण पर तामील नहीं हुई है जबकि यदि प्रतिवादीगण तामील के कानूनी बिन्दु पर एतराज करते तो उनको आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके परीक्षण न्यायालय के समक्ष ही तामील को चुनौती देनी चाहिए थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा महज तामील को आधार बना कर निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–1991 को निरस्त करने के लिये कानूनी तौर पर सक्षम ही नहीं था।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2004 को निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 24–08–1991 को बहाल रखा जावें।

5– इसके विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये कि विद्वान सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–08–1991 से वाद को गलत रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया है। जिसके विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–02–2004 से सही तौर पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–1991 को अपास्त किया गया है। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में आराजी जैर सम्वत् 2000 से वादी के पिता के नाम होना अंकित किया गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को डिक्री करने का आधार जमाबन्दी सम्वत् 2043–2045 को लिया गया है। विवादित आराजी पर वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक सम्वत् 2012 से निरन्तर काबिज काश्त रहा है। वादी द्वारा

ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड यथा– जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया गया है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर में आराजी जैर का पुश्तैनी होना एवं अपीलांट के पिता के समय से ही कब्जा काश्त होने के तथ्य को अस्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड विद्यमान जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी अपीलांट की विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त के संबंध में साक्ष्य व सबूत लेते हुए एवं प्रतिवादीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः दो माह में निर्णय पारित करें। विद्वान अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत व्याख्या है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–02–2004 को यथावत् रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(आर0डी0 मीणा)
सदस्य